

निगम 5672/2018/रीवा/भू-श

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा (म0प्र0)



अधि० श्री रामतरा मिश्रा
द्वारा पेशा 17-9-18

1. विष्णू प्रताप सिंह तनय श्री शिवदयाल सिंह उम्र 66 वर्ष पेशा खेती
 2. शत्रुदमन सिंह तनय श्री भगवत सिंह उम्र 67 वर्ष पेशा खेती
- निवासी ग्राम टिकुरी तहसील त्योंथर जिला रीवा (म0प्र0)

—निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

1. अरुण कुमार सिंह तनय श्री रिपुदमन सिंह
2. दिलीप सिंह तनय श्री रिपुदमन सिंह
3. दिग्विजय सिंह तनय श्री रिपुदमन सिंह

सभी निवासी ग्राम टिकुरी तहसील त्योंथर जिला रीवा (म0प्र0)

4. म0प्र0 शासन

—गैर निगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी बिरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त महोदय
रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक
842/अपील/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक
01.08.2018

मान्यवर,

निगरानी प्रकरण के आधारों को उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है:-

यह कि भूमि नं-90, 291, 124, 57, 143 व 305 किता 6 कुल रकवा 5.69ए0 स्थित ग्राम रेही तहसील त्योंथर जिला रीवा की तत्कालीन भूमिस्वामी शिवराज कुमारी थी शिवराज कुमारी के कोई संतान नही थी आवेदकगण एवं अनावेदकगण ही उनके विधिक वारिसान थे किन्तु शिवराज कुमारी की मृत्यु के

40

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

3

प्रकरण क्रमांक निग0-5672/2018/रीवा/भू-रा0

जिला- रीवा

विष्णू प्रताप सिंह/ अरुण कुमार सिंह

(1)	(2)
184-2018	<p>1. आवेदक की ओर से श्री रामनरेश मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 842/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.09.18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>